कार्यालय
प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

दूरभाष : 05962.230065, फैक्स: 05962.232182 ई–मेल almoraforestdivision@rediffmail.com

पत्रांक 2592 / 12–1(2) अल्मोड़ा दिनांक 09.06.2021 (11-11-2021)

सेवा में

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषय: जनपद अल्मोड़ा में विकास खंड सयाल्दे में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के वल्मरा से साटेर (कैहरगांव) मोटर मार्ग प्रस्ताव संख्या (49082) के निर्माण हेतु 0.9331 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ: उत्तराखण्ड शासन का पत्रांक 631(1)/X–3–21/1(64)/2021 दिनांक 21.06.2021।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों की प्रस्तावक विभाग द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी अनुपालन आख्या निम्नवत है–

क्र0सं0	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	2	3
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े पर नियमानुसार वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करने हेतु यथासंसोधित) जमा की जाएगी।	रिक्त पड़े स्थानों पर 170 वृक्षों का रोपण, देखरेख हेतु रू0–226270 निर्धारित कोश में जमा कर दिया गया है।
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अंतर्गत आई0ए0सं0–566 एवं भारत सरकार पत्र संख्या–5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिए गए आदेशानुसार सुध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जाएगी।	शर्त मान्य है।
3	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनतद्वता प्रस्तुत करेंगे कि समक्ष स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दर में बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।	प्रमाण पत्र संलग्न है।
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र सं0–5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिए गए अनुदेशों के अनुसार एन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधियॉ प्रतिपूर्ति पौधरोपण निधि प्रबंधक तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा सं0–एस0बी0–25229 कॉर्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपकम), ब्लॉक–11 भूतल सीजीओ काम्प्लेक्स, भासे–1, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 में जमा करने के उपरांत ही पावती की छायाप्रति, जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्रफ्ट/चेक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के सन्दर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस–पास वृक्षारोपण तथा अन्य देय धनराशियों का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 05(क) के अनुपालन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव एवं एन0पी0वी0 की देय धनराशि रू0 839318 मात्र की धनराशि वन विभाग के पक्ष में RTG के माध्यम से दिनांक 08.07.2021 द्वारा Union Bank of India Lodhi Complex Branch,Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi-110003 में

5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल को संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।	जमा की जा चुकी है (छायाप्रति संलग्न) शर्त मान्य है।
6	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अंतर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण-पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।	शर्त मान्य है।
7	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकारी सुरक्षित है।	शर्त मान्य है।
8	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविदिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलुवे का निस्तारण करेगा की वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलुवे को यथा-स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	शर्त मान्य है।
9	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम किया जायेगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार दिये गये वृक्षों की संख्या से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	शर्त मान्य है।
10	उपरोक्त शर्तों के अनुपालन पश्चात में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जाएगी।	शर्त मान्य है।

अतः अनुरोध करना है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की सभी अध्यारोपित शर्तों की अनुपालन आख्या आनलाईन अपलोड कर अनुपालन आख्या की चार मूल प्रतियां आपके कार्यालय को संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। अतः प्रकरण में विधिवत स्वीकृति हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

भवदीय

(श्री महातिम यादव)
प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा।

कार्यालय परियोजना प्रबंधक

पी0आई0यू0 सल्ट (एन०पी०सी०सी०) पी0एम0जी0एस0वाई0, अल्मोड़ा

Fax-0135-2675725 E-Male:-almoranpcc@gmail.com

पत्रांक-449/PMGSY/21-22/

दिनांक- 24/09/2021

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग
जनपद - अल्मोड़ा

विषय :- जनपद अल्मोड़ा में विकास खंड स्याल्दे में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के वल्मरा से साटेर (कैहरगाव) मोटर मार्ग प्रस्ताव संख्या (49082) के निर्माण हेतु 0.9331 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में ।

संदर्भ :- भारत सरकार पर्यावरण , वन एव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (क्षे०का०) देहरादून के कार्यालय पत्रांक सं० FP/UK/ROAD/49082/2020 दिनांक 21/06/2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में सैंद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तो की अनुपालन आख्या 03 प्रतियो में प्रेषित की जा रही है ।

1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस पास रिक्त पड़े स्थानों पर नियमानुसार वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करने हेतु यथासंसोधित) जमा की जाएगी ।	रिक्त पड़े स्थानों पर 170 बृक्षों का रोपण , देख हेतु रु0 - 226270 निर्धारित कोश में जमा कर गया है ।
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायलय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अंतर्गत आई०ए०सं०- 566 एवं भारत सरकार पत्र सं०- 5-3 /2007-एफ० सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिए गए आदेशानुसार सुध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जाएगी ।	शर्त मान्य है ।
3	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि समक्ष स्तर से यदि एनपीवी कि दर में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुयी धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी ।	
4	प्रोयक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र सं० - 5-3 /2007- एफ० सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिए गए अनुदेशों के अनुसार एनपीवी तथा दूसरी सभी निधियाँ प्रतिपूर्ति पौधरोपण निधि प्रबंधक तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा सं०- एस0बी0-25229 कॉर्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लॉक- 11 भूतल सीजीओ काम्प्लेक्स, भासे- १ , लोधी रोड , नई दिल्ली - 110003 में जमा करने के उपरांत ही पावती की छायाप्रति , जमा कि गयी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/ चेक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के सन्दर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमे जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात एनपीवी , क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस पास वृक्षारोपण तथा अन्य देय धनराशियो का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।	सैध्दांतिक स्वीकृति की शर्त संख्या 05 (क) के अनुपालन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं वर्षो तक रखरखाव एवं एन०पी०वी० की दे धनराशि मु० 839318 मात्र की धनराशि वन विभाग के पक्ष में RTGS के माध्यम से दिन 08/07/2021 द्वारा Union Bank of India Lo Complex Branch, Block 11, CGO Comple Phase I, Lodhi Road, New Delhi-110003 जमा की जा चुकी है (छायाप्रति संलग्न) ।

5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वार प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल को संस्तुतियों एवं भू- वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।	शर्त मान्य है ।
6	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अंतर्गत आवश्यक अभिलेखों / प्रमाण - पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।	शर्त मान्य है ।
7	प्रोयोका एजेंसी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार , पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।	शर्त मान्य है ।
8	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविदिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे ला निस्तारण करेगा की वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे । राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को सिथर एवं पुनियजीवित करने का कार्य किया जाएगा । मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी । निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्र तरीके से पूरा किया जायेगा । मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी ।	शर्त मान्य है ।
9	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ो की कटाई को न्यूनतम क्र देगा , जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार दिये गये वृक्षों की संख्या से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन बभाग के पास पेड़ो की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	शर्त मान्य है ।
10	उपरोक्त शर्तो के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जाएगी।	शर्त मान्य है ।

विघुत स्वीकृति हेतु अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी को छायाप्रति संलग्न की जा रही है।
अतः अनुरोध है कि अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्न :- यथोपरि।

भवदीय,

Aditya

अधिशाषी अभियंता
पी०एम०जी०एस०वाई सल्ट

प्रतिलिपि :- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी को उनके पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय,

Aditya
अधिशाषी अभियंता

पी०एम०जी०एस०वाई सल्ट

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 08-07-2021

Agency Name.	PIU SULT PMGSY
Application No.	6149082593
MoEF/SG File No.	1(64)/21
Location.	UTTARANCHAL
Address.	near indian gas agencyAlmora
Amount(in Rs)	839318/-

Amount in Words :Eight Lakh Thirty-Nine Thousand Three Hundred and Eighteen Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	150896149082593 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 08-07-2021

Agency Name.	PIU SULT PMGSY
Application No.	6149082593
MoEF/SG File No.	1(64)/21
Location.	UTTARANCHAL
Address:	near indian gas agency Almora
Amount(in Rs)	839318/-

Amount in Words :Eight Lakh Thirty-Nine Thousand Three Hundred and Eighteen Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	150896149082593 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date to Email: cb0371@unionbankofindia.com

Print Back

Alok A.F

Aditya

Funds to be deposited in Govt. Exchequer

Help

Click on Generate Challan to generate challan.

Paid : This icon shows that the payment has been deposited.

To be Paid : This icon shows that the payment of this yet to be made.

Challan Generated : This icon shows that the challan has been generated.

Proposals received on or after 15th July 2014 **All Proposals received upto 14th July 2014**

Proposal No.	Application No	Application No (New)	Proposal Name	Category	Area (ha.)	User Agency Name	Date of IN-PRINCIPLE	Demand Verified Date	Action	Status
FP/UK/ROAD/49082/2020	ROAD490822020593	6149082593	Walmara to Satarh(kahedgaon) MR Stage I under PMGSY	Road	0.9331	PIU SULT PMGSY	21-6-2021	06-7-2021	Paid	Paid

(HTTPS://SWACHHBHARAT.MYGOV.IN/) (WWW.DIGITALINDIA.GOV.IN) (HTTPS://DATA.GOV.IN/)
india.gov.in (HTTPS://INDIA.GOV.IN/) (HTTPS://WWW.MYGOV.IN/) MeitY (HTTP://MEITY.GOV.IN/)
HTTP://WWW.PMINDIA.GOV.IN/EN/) (HTTP://WWW.NIC.IN/)

Content Owned, Updated and Maintained by Ministry of Environment,Forest and Climate Change, Government of India
Terms & Conditions (TermsandConditions.aspx) | Privacy Policy (Privacypolicy.aspx) | Copyright Policy (CopyrightPolicy.aspx) | Hyperlinking Policy (HyperlinkingPolicy.aspx) | Accessibility Statement (Accessibilitystatement.aspx) | Disclaimer (Disclaimer.aspx) | Contact Us (Contact.aspx)

For any Technical support, Please Contact EFCCID, NIC, New Delhi, monitoring-fc(at)nic(dot)in

Alok
AE

Aditya

प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

दूरभाष 05962 230065, फैक्स 05962 232192 ई-मेल almoraforestdivision@rediffmail.com

पत्रांक 31 /12-1(2)अल्मोड़ा दिनांक 01-07-2021

सेवा में,

उपप्रबन्धक,
पी०एम०जी०एस०वाई० वर्क्स,
पी०आई०यू० राल्ट, अल्मोड़ा।

विषय – पी०एम०जी०एस०वाई० के अन्तर्गत वल्नारा से साटेर स्टेज–1 मोटर मार्ग के सापेक्ष जमा की जाने वाली धनराशि के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या 120059 / 2021)

संदर्भ – सैद्धान्तिक स्वीकृति की पत्र स० 631 / X–3–21 / 1(64) / 2021 दिनांक 21.06 2021।

उपरोक्त विषयक सदर्भित पत्र के क्रम में उक्त मोटर मार्ग के सापेक्ष जमा की जाने वाली धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है।

क्र०सं०	मद	ईकाई	दर	जमा की जाने वाली धनराशि
1	एन०पी०वी०	0.9331 है० इको क्लास– V घनत्व–0.2	657000.00 प्रति है०	613048.00
2	क्षतिपूरक वृक्षारोपण	—	—	—
3	परियोजना के आस पास खाली पड़े स्थानो पर वृक्षारोपण योजना	170 वृक्ष	1331.00 प्रति वृक्ष	226270.00
4	प्रभावित दस गुना वृक्षो की वृक्षारोपण योजना	—	—	—
5	100 वृक्षो की वृक्षारोपण योजना		—	—

अतः उक्त डिमाण्ड नोट आनलाइन अपलोड कर नोडल कार्यालय द्वारा डिमाण्ड नोट का सत्यापन के उपरान्त धनराशि नियमानुसार जमा कर इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें तथा सैद्धान्तिक स्वीकृति के अनुसार अन्य शर्तों का भी अनुपालन करने का कष्ट करें।

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा।

Alok
A.E

Aditya

C.I Fund and transfer letter 2021

वचनबद्धता प्रमाण–पत्र

कार्य का नाम :– जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत वल्मरा से साटेर (कैहरगाव) लिंक मोटर मार्ग 5.300।

वनसंरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लघन नही किये जाने का पत्र

प्रमाणित किया जाता कि प्रस्तावित मोटर मार्ग में वनसंरक्षण अधिनियम 1980 का उल्ल्घन नही किया जायेगा। इस आशय की वचनबद्धता की जाती है।

Alok
A.E

Aditya
अधिशाषी अभियंता
पी०एम०जी०एस०वाई सल्ट

वचनबद्धता प्रमाण–पत्र

कार्य का नाम :– जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत **वल्मरा से साटेर (कैहरगाव) लिंक मोटर मार्ग 5.300।**

वन्य जीव / वनस्पतियों को श्रति न पहुंचाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण कार्य / रख रखाव के दौरान वन्य जीवों / स्थानीय वनस्पतियों को कोई नुकसान नहीं पुछया जायेगा। इस आशय की वचनबद्धता की जाती है।

Alok
A.E

Aditya
अधिशाषी अभियंता
पी०एम०जी०एस०वाई सल्ट

वचनबद्धता प्रमाण–पत्र

कार्य का नाम :– जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत वल्मरा से साटेर (कैहरगाव) लिंक मोटर मार्ग 5.300।

कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा आवेदित भूमि पर कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ नही किया गया है।

भारत सरकार से वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतगत स्वीकृति होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। इस आशय की वचनबद्धता की जाती है।

Alok
A.E

Aditya
अधिशाषी अभियंता

पी०एम०जी०एस०वाई सल्ट

वचनबद्धता प्रमाण–पत्र

कार्य का नाम :– जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत वल्मरा से साटेर (कैहरगाव) लिंक मोटर मार्ग 5.300।

राष्टीय पार्को / वन्य जीव अभ्यारण में प्रशतावित कार्य करने से पूर्व मान्य उच्चतम न्यायलय एवं भारतीय वन्य जीव परिषद अनुमित।

(लागू नही है)

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग में वनसंरक्षण अभिनियम 1980 का उल्लघन नही किया गया है।

इस आशय की वचनबद्धता की जाती है।

Alok
AE

Aditya
अधिशाषी अभियंता
पी०एम०जी०एस०वाई सल्ट

वचनबद्धता प्रमाण–पत्र

कार्य का नाम :– जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत
वल्मरा से साटेर (कैहरगाव) लिंक मोटर मार्ग 5.300।

जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू.वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन हेतु प्रमाण पत्र

प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू-
वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इस आशय की वचनबद्धता की जाती है ।

Alok
A.E

Aditya
अधिशाषी अभियंता

पी०एम०जी०एस०वाई सल्ट

वचनबद्धता प्रमाण– पत्र

कार्य का नाम :—जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत वल्मरा से साटेर (कैहरगांव) लिंक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि सड़क निर्माण के पश्चात् जहां सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन विभाग की देखरेख में Strip Plantation कराया जायेगा।

Alok
AE

Aditya
अधिशासी अभियन्ता
पी०जी०एस०वाई० वर्क सल्ट

प्रमाण–पत्र

कार्य का नाम :– जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत **वल्मरा से साटेर (कैहरगाव) मोटर मार्ग** का निर्माण हेतु वन भूमि का प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत **वल्मरा से साटेर (कैहरगाव)** मोटर मार्ग निर्माण में कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जायेगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 76 वृक्षों से अधिक नहीं होगी।

Alok
A.E

Aditya
अधिशाषी अभियंता

पी०एम०जी०एस०वाई सल्ट

प्रमाण–पत्र

कार्य का नाम :– जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत **वल्मरा से साटेर (कैहरगाव)** लिंक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु प्रत्यावर्तन।

सक्षम स्तर से एन0पी0वी0 की बढोत्तरी होने पर अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण–

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा0 उच्चतम न्यायालय/ भारत सरकार द्वारा एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में कोई बढोत्तरी की जाती है, तो एन0पी0वी0 की बढी हुयी धनराशि का भुगतान वन विभाग के पक्ष में यथासमय कर दिया जायेगा।

Alok
A.F

Aditya
अधिशाषी अभियंता
पी०एम०जी०एस०वाई सल्ट